न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः जगदीश आर्य, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0–– 248 / 2015
प्रविष्टि दिनांक ––03.12.2005

उनवान

1. कल्याण पुत्र केश्या जाति माली आयु 70 वर्ष निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाग, टोंक (राज0)।
2. लादू पुत्र केश्या जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक (राज0)।
3. कल्याणी पुत्री केश्या जाति माली आयु 60 वर्ष निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक (राज0)।
4. कमला पुत्री केश्या जाति माली आयु 55 वर्ष निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक (राज0)।

– वादीगण

बनाम

1. पांचू पुत्र ईसर आयु 60 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक।
2. श्योलाल पुत्र ईसर आयु 55 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक।
3. कोकल पुत्री ईसर आयु 75 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक।
4. गुलाब पुत्री ईसर आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक।
5. रामदेवा पुत्र भूरा आयु 45 वर्ष जाति माली निवासी गहालोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
6. कालू पुत्र भूरा आयु 40 वर्ष जाति माली निवासी गहालोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
7. बाबू पुत्र भूरा आयु 38 वर्ष जाति माली निवासी गहालोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
8. चन्द्र पुत्र भूरा आयु 35 वर्ष जाति माली निवासी गहालोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
9. कालू पुत्र गोदू आयु 45 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
10. शंकर पुत्र गोदू पुत्र आयु 40 वर्ष जाति माली निवासी गहालोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
11. नाराणी पुत्र गोदू आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाग, टोंक
12. गोपाल पुत्र नारायण आयु 30 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
13. सीताराम पुत्र नारायण आयु 25 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक
14. ताराचंद पुत्र नारायण आयु 22 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक।
15. किशन पुत्र नारायण आयु 18 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाग, टोंक
16. घासी पुत्री चौथ्या आयु 55 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
17. पूरण पुत्र चौथ्या आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
18. बच्छू पुत्र चौथ्या आयु 40 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक
19. बदाम पुत्री चौथ्या आयु 45 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक
20. छोटा पुत्री चौथ्या आयु 35 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक
21. छोट्या पुत्र नन्दा आयु 75 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक
22. तहसीलदार टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री छोटेलाल सोलंकी, अभिभाषक वादी

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

निर्णय

वाद बाबत इस्तकरारहक,दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का सार निम्न प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1521 रकबा 15 बिस्वा किस्म नहरी अव्वल, वाके कस्बा गर्बी, तहसील टोंक जिला टोंक में स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ईसर, गोदू, चौथ्या, छोट्या पिता नन्दा माली की खातेदारी में दर्ज आराजीयात है। उक्त आराजीयात के वास्तविक खातेदार ईसर, गोदू, केश्या, व चौथ्या का देहान्त हो

Scanned by CamScanner

चुका है। स्व0 केश्या के वारिसान वादीगण, ईसर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 8, गोदू के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, गोदू के वारिसान प्रतिवादी संख्या 09 ता 15, चौथ्या के वारिसान प्रतिवादी संख्या 16 से 20 है। वादग्रस्त आराजीयात के वास्तविक खातेदार, काबिज, काश्तकार ईसर, गोदू, केश्या, चौथ्या, छोट्या पिता नन्दा माली थे। एवं वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 खातेदार, काबिज, काश्तकार चले आ रहे है। जिनमें वादीगण का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 ता 8 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 का 1/5 हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 21 का 1/5 हिस्सा है एवं इसी अनुसार पूर्व में छोट्या व उसके मृतक चारों भाई बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज, काश्त थे एवं वर्तमान में उपरोक्त हिस्से अनुसार उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज, काश्त चले आ रहे है। जमाबंदी सम्वत 2033 से 2036 एवं जमाबंदी सम्वत 2050–2053 में वादीगण के पिता स्व0 केश्या का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था, लेकिन सम्वत 2054 से 2057 की जमाबंदी जब बनी तो वादीगण के पिता स्व0 केश्या का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित होने से रह गया एवं उसके उपरांत से लेकर वर्तमान जमाबंदी में भी वादीगण के स्व0 पिता केश्या का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही हो सका। जबकि राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारीयों का कर्तव्य था कि सम्वत 2054 से 2057 की जमाबंदी बनाते समय साबिका जमाबंदी सम्वत 2050–5053 में अंकित सभी सहखातेदारान का नाम ज्यो का त्यो अंकित करना आवश्यक व नैतिक कर्तव्य था। किन्तु उसके उपरांत भी राजस्व कर्मचारीयों व अधिकारियों ने अपने दायित्वों से परे जाकर वादीगण के पिता केश्या का नाम सम्वत 2054 से 2057 की जमाबंदी में अंकित नही किया। वादीगण के पिता केश्या अपने हिस्से पर अपने जीवनकाल तक काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते चले आ रहे थे और उनके मृत्यु के उपरांत वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजीयात के अपने 1/5 हिस्से पर बिना किसी बाधा के काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण उक्त भूमि के 1/5 हिस्से पर लगातार काबिज चले आ रहे है। वादीगण का वर्षो पुराना कब्जा काश्त है इस कारण खातेदारी अधिकार वादीगण से निहित हो चुके है। प्रतिवादीगण वादीगण को उनके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल कर उक्त भूमि को अन्य को हस्तान्तरण करना चाहते है, जिनको की किसी भी प्रकार से विधिक अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण वादीगण के प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करना आवश्यक हो गया है कि वे स्वयं या अन्य किसी भी माध्यम से उक्त कृत्य नही करे अन्यथा वादीगण को अपार हानि होगी, अनावश्यक विवादो में उलझना पडेगा। तहसीलदार लेण्ड होने से व राजकीय अधिकारी होने से उनको धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। फिर भी धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थनापत्र अलग से वास्ते अनुमति पेश हैं वादीगण को यह दावा धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिये बिना पेश करने की आज्ञा प्रदान की जावे। बिनाया दावा 10 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। जबकि वादीगण उक्त भूमि के खातेदार है, अतिक्रमी नही।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज॰)

Scanned by CamScanner

वादीगण ने वाद पत्र को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजात जमाबन्दी संवत 2033–36, 2050–53, 2054–58, 2066–69 वाके ग्राम टोंकगर्बी, प्रस्तुत किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गयी। प्रतिपक्षीगण के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादीगण ने साक्ष्य दस्तावेज के रूप में कल्याण का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

हमने लायक वकील वादीगण की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से यह सिद्ध है कि जमाबंदी सम्वत 2033 से 2036 एवं जमाबंदी सम्वत 2050–2053 में वादीगण के पिता स्व0 केश्या का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था, लेकिन सम्वत 2054 से 2057 की जमाबंदी जब बनी तो वादीगण के पिता स्व0 केश्या का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित होने से रह गया, दसकि बाद से वर्तमान जमाबंदी तक में भी वादीगण के स्व0 पिता केश्या का नाम राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटीवश अंकित नही हो सका जो दुरूस्ति योग्य है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 1521 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम टोंकगर्बी तहसील व जिला टोंक का 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित एंव न्याय संगत प्रतित होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 1521 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम टोंकगर्बी तहसील व जिला टोंक का 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दुरूस्ति करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 18/04/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज॰)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुकाम टोंक व अलजाम श्री जगदीश आर्य, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित

उनवान

1. कल्याण पुत्र केश्या जाति माली आयु 70 वर्ष निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाग, टोंक (राज0)।
2. लादू पुत्र केश्या जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक (राज0)।
3. कल्याणी पुत्री केश्या जाति माली आयु 60 वर्ष निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक (र
4. कमला पुत्री केश्या जाति माली आयु 55 वर्ष निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद,टोंक (राज0)।

– वादीगण

बनाम

1. पांचू पुत्र ईसर आयु 60 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक।
2. श्योलाल पुत्र ईसर आयु 55 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक।
3. कोकल पुत्री ईसर आयु 75 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक।
4. गुलाब पुत्री ईसर आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक।
5. रामदेवा पुत्र भूरा आयु 45 वर्ष जाति माली निवासी गहालोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
6. कालू पुत्र भूरा आयु 40 वर्ष जाति माली निवासी गहालोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
7. बाबू पुत्र भूरा आयु 38 वर्ष जाति माली निवासी गहालोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
8. चन्द्र पुत्र भूरा आयु 35 वर्ष जाति माली निवासी गहालोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
9. कालू पुत्र गोदू आयु 45 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
10. शंकर पुत्र गोदू पुत्र आयु 40 वर्ष जाति माली निवासी गहालोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
11. नाराणी पुत्र गोदू आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाग, टोंक
12. गोपाल पुत्र नारायण आयु 30 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
13. सीताराम पुत्र नारायण आयु 25 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक
14. ताराचंद पुत्र नारायण आयु 22 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक।
15. किशन पुत्र नारायण आयु 18 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाग, टोंक
16. घासी पुत्री चौथ्या आयु 55 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
17. पूरण पुत्र चौथ्या आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मोहल्ला बेगमबाद, टोंक
18. वच्छू पुत्र चौथ्या आयु 40 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक
19. बदाम पुत्री चौथ्या आयु 45 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक
20. छोटा पुत्री चौथ्या आयु 35 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक
21. छोट्या पुत्र नन्दा आयु 75 वर्ष जाति माली निवासी गहलोद घाट, मो0 बेगमबाद, टोंक
22. तहसीलदार टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री छोटेलाल सोलंकी, अभिभाषक वादी

वाद बाबत इस्तकरारहक,दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

दावा नं0 248/2015

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी जाती है कि

वादवादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 1521 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम टोंकगर्बी तहसील व जिला टोंक का 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दुरूस्ति करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18/4/2019 को जारी किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner